



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241059  
CG-DL-E-14122022-241059

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5580]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944

No. 5580]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

**का.आ. 5816(अ).**— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में पथपाटनम से नरसन्नापेटा राष्ट्रीय राजमार्ग 326ए के कि.मी. 0.000 से कि.मी.41.979 (एक्सक्लूडिंग कि.मी. 2.255 से कि.मी. 03.732 & कि.मी. 36.820 से कि.मी. 38.275) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, एल ए यूनिट, II को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच

करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 326ए के कि.मी. 0.000 से कि.मी.41.979 (एक्सक्लूडिंग कि.मी. 2.255 से कि.मी. 03.732 & कि.मी. 36.820 से कि.मी. 38.275) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश जिले का नाम: श्रीकाकुलम					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: सरवाकोटा					
गांव का नाम: गोरेबंदा					
1	321 - 1 B	निजी	ड्राई	0.0500000(एकर )	0.0202347
2	321-4 B	निजी	बेट	0.0200000(एकर )	0.0080939
गांव का नाम: थोगिरे					
1	127 - 5 A2	निजी	बेट	0.0300000(एकर )	0.0121408
2	127-4 B	निजी	बेट	0.0100000(एकर )	0.0040469
3	127-8 B	निजी	बेट	0.0100000(एकर )	0.0040469
तालुक का नाम: टेक्कली					
गांव का नाम: लिंगालावालसा					
1	110 -9	सरकारी	ग्रामा काण्टम	0.1100000(एकर )	0.0445164
2	115-1	सरकारी	ग्रामा काण्टम	0.0700000(एकर )	0.0283286
3	153 - 3 A	निजी	बेट	0.0300000(एकर )	0.0121408
4	153-1 A	निजी	बेट	0.1500000(एकर )	0.0607042
5	213-6	सरकारी	पोरंबोके	0.1700000(एकर )	0.0687981
6	83 -2	सरकारी	ग्रामा काण्टम	0.2100000(एकर )	0.0849858

7	92-6 B	निजी	ड्राई	0.0200000(एकर )	0.0080939
8	92-9B	निजी	ड्राई	0.1700000(एकर )	0.0687981
9	98 - 3 A	निजी	मानवारी	0.0900000(एकर )	0.0364225
10	98 - 7 A	निजी	ड्राई	0.1200000(एकर )	0.0485633
कुल				1.2600	0.5099

[फा. सं. RW/NH-12011/01/2018-AP/P-7/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

**S.O. 5816(E).**— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and Upgradation of NH326A from Pathapatnam to Narasannapeta from Km. 0.000 to Km. 41.979 (Excluding Km 2.255 to Km 03.732 & km 36.820 to Km. 38.275) in the district of SRIKAKULAM in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **SPECIAL DEPUTY COLLECTOR**, LA Unit II, in the writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land under covered this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

## SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of the land from Km. 0.000 to Km. 41.979 (Excluding Km. 2.255 to Km. 03.732 & Km. 36.820 to Km. 38.275) of NH326A in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH		District: SRIKAKULAM			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Saravakota					
Village: Gorribanda					
1	321 - 1 B	Private	Dry	0.0500000(Acre )	0.0202347
2	321-4 B	Private	wet	0.0200000(Acre )	0.0080939

<b>Village: Thogiri</b>					
1	127 - 5 A2	Private	wet	0.0300000(Acre )	0.0121408
2	127-4 B	Private	wet	0.0100000(Acre )	0.0040469
3	127-8 B	Private	wet	0.0100000(Acre )	0.0040469
<b>Taluk: Tekkali</b>					
<b>Village: Lingalavalasa</b>					
1	110 -9	Government	Grama kantam	0.1100000(Acre )	0.0445164
2	115-1	Government	Grama kantam	0.0700000(Acre )	0.0283286
3	153 - 3 A	Private	wet	0.0300000(Acre )	0.0121408
4	153-1 A	Private	wet	0.1500000(Acre )	0.0607042
5	213-6	Government	Poramboke	0.1700000(Acre )	0.0687981
6	83 -2	Government	Grama kantam	0.2100000(Acre )	0.0849858
7	92-6 B	Private	Dry	0.0200000(Acre )	0.0080939
8	92-9B	Private	Dry	0.1700000(Acre )	0.0687981
9	98 - 3 A	Private	Manavari	0.0900000(Acre )	0.0364225
10	98 - 7 A	Private	Dry	0.1200000(Acre )	0.0485633
<b>Total</b>				<b>1.2600</b>	<b>0.5099</b>

[F. No. RW/NH-12011/01/2018-AP/P-7/3A]

RAJESH GUPTA, Director